



फरीदाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

ई-पेपर www.pioneerhindi.com पर पढ़िए YouTube सब्सक्राइब करें Pioneer Haryana



'मुंबई को गेंदबाजी में करना होगा सुधार'

पेज - 12

द्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 23 अप्रैल तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने गिरपतारी के खिलाफ नहीं सुनी अर्जी

एंजेसी। नई दिल्ली

अष्टममाता महागौरी

यह अमोघ फलदायकी है और भवती के तमाम कल्पय धूल जाते हैं। महागौरी का भूमन-अर्जन, उपासना-आरामदासी का विद्युत सिद्धिकारी है।
मंत्र-
'सिद्धग्रन्थवैक्षणीसुरैरमरपि। सेव्यामाना सदा भूयात सिद्धिदा विद्युतिनी॥'।
● विनुत सामग्री पेज-10

बाजार

सेसेंसक्स 73,399 845.12
निपटी 22,272 246.90
सोना 73,050 300 gms
चांदी 85,200 500 gms

मौसम फोटोवार्ड

अधिकतम 38.00°C

न्यूनतम 26.00°C

विवक व्यूज

अमरनाथ यात्रा 29 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार यह यात्रा 19 अस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। सकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जल्दी में डिक्कल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्जिद निर्माण के लिए अंडा 2.27 लाख में बिका

नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार यह यात्रा 19 अस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। सकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जल्दी में डिक्कल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्जिद निर्माण के लिए अंडा 2.27 लाख में बिका

नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार यह यात्रा 19 अस्त तक चलेगी। 2023 में 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। सकारी आदेश के मुताबिक 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जल्दी में डिक्कल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्जिद निर्माण के लिए अंडा 2.27 लाख में बिका

कहा- 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं

(अप्रैल) के आखिरी हफ्ते में कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से अभियोग मनु सिंधवी और ईडी की ओर से सांस्कृतिक जनरल ने दीलीले रख्या। अप्रैल तक बढ़ा दी है।

चौंकने वाले फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहत हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंधवी ने कहा- सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हाँ सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा- हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंधवी ने कहा कि गिरपतारी केवल इसलिए थी, करीब तक केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाएं। कोर्ट ने कहा- हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। वर्षी, राज एवेन्यू कोर्ट ने

केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

यांत्री ने 23 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। केजरीवाल ?को तिहाड़ जेल में दो नंबर ब्रैक में रखा गया है। इंडी ने शराब नीति कोर्स में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरपतारी को 21 मार्च को राज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहाँ से उड़े 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। रिमांड बाद में एक अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। तीन महीने चली दर्ज करवाने के लिए उपरोक्त कोर्ट में जाने की सलाह दी गई है।

पतंजलि के बिस्किट में कम निकला वजन, 1.40 लाख जुर्माना

एंजेसी। इंदौर

को फैसला सुनाया। इसमें पतंजलि और डी-मार्ट समेत ऐक्जिंग कंपनी पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया। आदेश की कॉर्पो पक्षकारों को अब मिली है। पतंजलि कंपनी और डी-मार्ट का आपने जुर्माना जमा करा दिया गया है। हालांकि फिरियों को अभी कोई हजारी नहीं मिला है। उसे सेवा में कमी का केस दर्ज करवाने के लिए उपरोक्त कोर्ट में जाने की सलाह दी गई है।

21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआइ को लिखी चिट्ठी कुछ लोग अपने फायदे के लिए ज्यूडीशियरी पर दबाव बना रहे, न्यायपालिका को बचाएं

एंजेसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआइ डीवाइंचंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उड़ाने वाला है कि कुछ लोग सोबैसमझे ढांग से दबाव बनाकर, गत तृतीयां और सार्वजनिक रूप से अपमानित करके न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये लोग अंडे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जबकि बाकी 17 जजों के हाईकोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अंडे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जबकि बाकी 17 जजों के हाईकोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अंडे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जबकि बाकी 17 जजों के हाईकोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अंडे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जबकि बाकी 17 जजों के हाईकोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अंडे राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों में से 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जबकि बाकी 17 जजों के हाईकोर्ट के नीचे जारी आयोग के लिए न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।



की इमानदारी पर सवाल उठने के लिए कानून के संरक्षक के रूप में जनता के विश्वास के रूप में जारी रहे हैं।

लेटर में जजों ने ज्यूडीशियरी से जनता का भरोसा उठाने की आशका जराई है। उड़ानों में लिखा- हम विशेष रूप से गलत जानकारी से ज्यूडीशियरी के खिलाफ जनता की भावानाओं को भड़काने वाले दैटेक्टर्स को लेकर चिंतित हैं, जो न

केवल अनैतिक है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए नुकसानदायक भी है। किसी के विचारों से मेल खाने वाले अदालतों के फैसलों ने चुनावी तीव्र अंदाज में रखा गया की गई है। राहुल गांधी के नामानुसारी आयोग की तारीफ उठाने के लिए निकलती जानकारी उड़ानों में जारी रहे हैं, खास तौर से उन हथकंडों द्वारा जो गलत जानकारी के विश्वास क

